

[[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 15/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 204(अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 12/2018-केंद्रीय कर, तारीख 7 मार्च, 2018 के नियम 2 के उपनियम (ii) [खंड (7) के सिवाए], उपनियम (iii), उपनियम (iv), उपनियम (v), उपनियम (vi) और उपनियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट) ]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)  
अवर सचिव, भारत सरकार